

क्रमांक:प0 12(04)चिस्वा/2/2014पार्ट

जयपुर,दिनांक: - 5/2/18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय:- इन सर्विस कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सको को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपकी अभिशंषा के अनुसार सेवारत कोटे से विभिन्न मेडिकल कॉलेजो से पीजी अध्ययनरत निम्न चिकित्सको को तीन वर्ष का अध्ययन अवकाश निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

मेडिकल कॉलेज, जयपुर

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययन विभाग	अध्ययन अवकाश अवधि
1.	डॉ जय कुमार गौड़	टीबी एण्ड चैस्ट	27.05.17 से 26.05.20
2.	डॉ नेहा पारीक	नैत्र रोग	27.05.17 से 26.05.20
3.	डॉ प्रदीप सिंह	अस्थि रोग	27.05.17 से 26.05.20
4.	डॉ अभिषेक कुमार गुप्ता	निश्चेतन	27.05.17 से 26.05.20
5.	डॉ अंकित कुमार गुप्ता	सर्जरी	27.05.17 से 26.05.20
6.	डॉ प्रवेश कुमारी	स्त्री एवं प्रसूति रोग	27.05.17 से 26.05.20
7.	डॉ रवि कावरा	मेडिसिन	27.05.17 से 26.05.20
8.	डॉ रविन्द्र सिंह चौहान	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01.06.17 से 31.05.20
9.	डॉ राहुल चन्देल	शिशु औषध	27.05.17 से 26.05.20
10.	डॉ विकास कुमार बरसारा	सर्जरी	27.05.17 से 26.05.20
11.	डॉ शंकर लाल खजोटिया	नैत्र रोग	26.05.17 से 25.05.19
12.	डॉ पवन कुमार गर्ग	निश्चेतन	27.05.17 से 26.05.20

मेडिकल कॉलेज, झालावाड़

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययन विभाग	अध्ययन अवकाश अवधि
1.	डॉ अनूप दाधिच	मेडिसिन	27.05.17 से 26.05.20

मेडिकल कॉलेज, उदयपुर

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययन विभाग	अध्ययन अवकाश अवधि
1.	डॉ नमीर खां	चर्म एवं रति रोग	27.05.17 से 26.05.20
2.	डॉ प्रेमप्रकाश बालोदिया	शिशु रोग	27.05.17 से 26.05.19
3.	डॉ हरीश कुमार	शिशु रोग	27.05.17 से 26.05.19
4.	डॉ नितिन वर्मा	चर्म रोग	27.05.17 से 26.05.20

मेडिकल कॉलेज, बीकानेर

क्र.स.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययन विभाग	अध्ययन अवकाश अवधि
1.	डॉ सोमवीर	जनरल मेडिसिन	27.05.17 से 26.05.20
2.	डॉ रवि प्रकाश चौधरी	डिप्लोमा इन एनस्थसिया	03.06.17 से 02.06.19

अग्रिम कार्यवाही से पूर्व निदेशालय/सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।
2. अति निदेशक(राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर को प्रेषित कर लेख है उपरोक्त चिकित्सको से नियमानुसार राज्य सेवा का बन्ध पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
3. रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/राजपत्रित/पीजी/2017/ 179 दिनांक : 12 / 02 / 18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/झालावाड/उदयपुर।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. कार्यालय अधीक्षक एटी सैल मुख्यालय।
8. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाइट पर डालने का श्रम करें।
9. सम्बन्धित डीए को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।